

क्रमांक:—F2(226)/DoIT&C/2022/Part-1/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017Pt.दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:—

क्र. सं.	मेरिट न.	कार्मिक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी. पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	3800	संजय कुमार मुण्डोतिया	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर	24.09.2013	24.09.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
2	2129	कुंवरसैन	कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डीग	04.10.2013 (मध्याह्न पश्चात)	05.10.2022	-
3	2155	कपिल फौजदार	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई, भरतपुर	24.09.2013	24.09.2022	-

* उपर्युक्त सारणी में क्र.सं 1 पर अंकित कार्मिक के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
4. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Document certified by SANJAY JAGDISH KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Sanjay Jagdish Karnik

Designation: Head Of Office

Date: 26-10-2024 11:10:42

आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302006, दूरभाष:—

वेबसाइट: <http://www.doitc.rajasthan.gov.in>, ई-मेल: — oic.estt@rajasthan.gov.in